



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1058/2018

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|--|------|--|
| सज्जन कुमार सोडानी नि० बीगोद, तहसील मांडलगढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 27-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल.मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-10-16 के द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या 2365/2015, 2366/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29-4-2015 एवं अपील संख्या 2874/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22-6-17 की प्रति आयोग द्वारा किस दिनांक को प्रेषित की गई थी उसकी डिस्पेच संख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अपीलार्थी द्वारा प्रेषित विभिन्न पत्रों पर की गई जांच आदि के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 24-12-16 के उपरान्त भी सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 21-2-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि पत्र दिनांक 7-11-16 से अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के अनुक्रम में विनिश्चिय प्रेषित करते हुए 2/- रू० का सूचना शुल्क चाहा गया था तथा अपीलोत्तर की प्रति पृष्ठांकित कर अपीलीय निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 21-2-18 प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 7-11-16 एवं अपीलोत्तर की प्रति पृष्ठांकित कर प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना

में सूचना का प्रेषण कर दिया गया है। हस्तगत अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त